

बजिली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर मलिगा पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

25 मई, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य क्षेत्र वदियुत वतिरण कंपनी ने बजिली चोरी की रोकथाम के लिये इनाम योजना घोषित की है। अवैध उपयोग की सूचना देने पर नरिधारित शर्तों के अधीन पारतिषकि देने का प्रावधान है।

प्रमुख बदि

- सूचना के आधार पर राश विसूली होने पर सफल सूचनाकर्त्ता को 10 प्रतिशत राश का भुगतान कया जाएगा। इस राश की अधिकतम सीमा नहीं है।
- बजिली के अवैध उपयोग/चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र वदियुत वतिरण कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है।
- सूचनाकर्त्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी। कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी को सूचनाकर्त्ता नहीं माना जाएगा।
- सूचनाकर्त्ता को प्रोत्साहन राश का भुगतान कंपनी मुख्यालय से कया जाएगा। प्रोत्साहन राश सीधे सूचनाकर्त्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- प्रकरण बनाने एवं राश विसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी ढाई प्रतिशत राश प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।
- कंपनी मुख्यालय में इस योजना के क्रयान्वयन के लिये वजिलेंस सेल गठित कया गया है। इस वजिलेंस सेल को भी सूचना भेजी जा सकती है।